राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8( ) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/6460-501 जयपुर, दिनांकः 05.05.2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः— लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को गंन्तव्य स्थान पर पहुंचाने पर होने वाले परिवहन व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

ऐसे प्रवासी श्रमिकों को गंन्तव्य पर पहुचाने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा विशेष यात्री रेलों का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विशेष यात्री रेल एवं साथ ही विशेष बसों के समस्त यात्रियों के किराये का भुगतान संबंधित जिला कलेक्टर, जहां से रेल/बस प्रस्थान (starting point) करेगी, द्वारा निर्बन्ध कोष (Untied Fund) से किया जायेगा। किसी भी यात्री से किराया वसूल नही किया जायेगा।

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग राजस्थान (राज्य प्रभारी, समन्वय समिति एवं अन्तर्राज्यीय रेल परिवहन)
4. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संबंधित संभागीय नोडल अधिकारी (अन्तर्राज्यीय रेल परिवहन)
7. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक रेंज पुलिस/पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।

5/5/2020
शासन सचिव

कार्यालय का पता-खाद्य भवन भू-तल, कमरा नं. 7007 शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084
फैक्स नं. 0141-2227230 ई-मेल आई. डी- relief-rj@nic.in